

जीवन शक्ति योजना

मध्य प्रदेश शासन

उपयोगकर्ता पुस्तिका 'महिला उद्यमी प्रोफाइल पंजीकरण'

सर्वाधिकार सुरक्षित - उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

1. स्कीम के बारे में।:

1. जीवन शक्ति योजना

कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश के नागरिकों को अधिकाधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने साथ ही, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के रोजगार के अवसरों में वृदि्ध करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शक्ति श्री योजना लागू की गर्ड है।

इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमी इस पोर्टल पर अपना पंजीयन कर मास्क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सकती हैं । महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर पर जिले स्तर पर क्रय किया जाएगा । क्रय सामग्री के विक्रय हेतु जिले स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में कपडे के फेस मास्क के उपयोग को सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया है। इसका प्रसार मुख्य रूप से श्वास की बूंदों के माध्यम से होता है जो कि एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा हवा के माध्यम से फैलता है। फेस मास्क का उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। (This para may be given in a separate box)

पंजीयन विवरण -

- 1. शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों द्वारा अपने आधार नं के द्वारा पोर्टल पर मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक माध्यम से पंजीयन होगा ।
- 2. पंजीयन की प्रक्रिया में बैंक खाता का विवरण दर्ज किया जाना अनिवार्य है
- पंजीयन के समय मास्क तैयार करने की मासिक क्षमता की प्रविष्टि की जाएगी ।
- 4. पंजीयन पूर्ण होने के पश्चात पंजीकृत मोबाइल पर पंजीयन क्रं , पोर्टल का यूजर आई डी तथा पासवर्ड प्राप्त होगा ।
- 5. पंजीयन में किठनाई आने पर हेल्पलाइन दूरभाष क्रं 0755 2700800 पर प्रात: 9 से सायं 5 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है ।

2. सर्वप्रथम मध्यप्रदेश उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की वेबसाइट _____पर जाकर "महिला उद्यमी पंजीयन करे" पर क्लिक करें.




3. "महिला उद्यमी पंजीयन करे" पर क्लिक करने ले उपरांत महिला उद्यमी पंजीयन फॉर्म प्रदर्शित होगा यहाँ योजना तहत ज़रूरी जानकारी प्रदान करे।

4. पंजीयन करने की 2 विधिया है


- a. मोबाइल नंबर के माधयम से पंजीयन किया जा सकता है।
- b. आधार नंबर के माधयम से पंजीयन किया जा सकता है।

5. मोबाइल नंबर के माधयम से पंजीयन करने की विधि।

- a. सर्व प्रथम अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे जिसमे आप यप्जणा सम्बन्धी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते है।
- b. तत्पश्चारत "मोबाइल नंबर सत्यापित करे" पर क्लिक करे।



- c. आपके द्वारा दिए गए मोबिएल नंबर पर ओ टी पी प्राप्त होगा।
- d. प्राप्त ओ टी पी दर्ज करे तथा "ओटीपी दर्ज करे जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है।" बटन में क्लिक करे।
- e. यदि ओ टी पी प्राप्त नहीं हुआ हो तो "ओटीपी पुनः भेजे" पर क्लिक करे।



f. आप मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्टर कर रहे है इसलिए पंजीयन का माध्यम "मोबाइल नं। के माध्यम से" चुने।

g. "मोबाइल नं के माध्यम से" चुनने के बाद आगे की जानकारी प्रदान करे।

6. महिला उद्यमी का विवरण दे।

- a. महिला उद्यमी का नाम दर्ज करे।
- b. पति का नाम / पिता का नाम का नाम दर्ज करे।
- c. जन्म तिथि दर्ज करे।



7. वर्तमान पता का विवरण दे।

- a. जिला चुने।
- b. स्थानीय नगरीय निकाय चुने।
- c. अपना वार्ड क्रमांक चुने।
- d. अपना वर्तमान पता दर्ज करे।



8. क्षमता विवरण दर्ज करे।

a. प्रति माह मास्क आपूर्ति की क्षमता दर्ज करे। यहाँ नंबर दर्ज करे।




9. बैंक खाते का विवरण प्रदान करे जिसमे आप राशि प्राप्त करना चाहते है

- a. खाता संख्या दर्ज करे।
- b. खाता संख्या पुनः दर्ज करे।
- c. IFSC कोड दर्ज करे।

d. IFSC कोड पुनःदर्ज करे।




- e. फॉर्म सेव करने के लिए घोषणा को सेलेक्ट करके "सेव करे" बटन में क्लिक करे।
- f. रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होने पर आपको रजिस्ट्रेशन आई डी, आपका यूजर आई डी और पासवर्ड प्राप्त होगा।



10. आधार नंबर के माधयम से पंजीयन करने की विधि।

- a. आधार नंबर के माधयम से पंजीयन करने हेतु आपके आधार से मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक तो ही आप आधार से पंजीयन करे।
- b. अपना 12 अंको का आधार नंबर दर्ज करे।
- c. आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से आधार पंजीयन का सत्यापन करे।

d. आधार सत्यापित होने क बाद उद्यमी का नाम, पित का नाम / पिता का नाम, जन्म तिथि तथा फोटो ऑटो फिल्ड आएंगे।



धन्यवाद।